कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रॉक व0स0–3 / मान्यता / 726 / 2021–22 दिनांकः 30 / 04 / 2021

प्रबन्धक,
माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल,
शिवगार्डन, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।

विषयः– स्थाई मान्यता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन–पत्र दिनांक 26.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रॉकः व0स0(पं0) / मान्यता / 39402–09 / 2018–19 दिनांक 02.03.2019 के द्वारा कक्षा एन0 सी0 से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम की दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त अनन्तिम मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ, दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि मे मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगरक्षेत्र द्वारा दी गयी आख्या के आधार पर विद्यालय के अद्यतन संचालित होने एवं विद्यालय के विरूद्ध प्रशासनिक शिकायत, विगत वर्षो में प्रबन्धकीय विवाद एवं प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है। जिस कारण से शासनादेश दिनॉक 08.05.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विद्यालय की मान्यता जारी रहेगी। यदि आगामी वर्षो मे कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो आपके विद्यालय के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, साथ ही आपको मान्यता सम्बन्धी नवीन शासनादेश दिनॉक 11.01.2019 एवं समय–समय पर निर्गत होने वाले नवीन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

Dr. Priyanka Sarkar
Principal
Madhavrao Scindia Public School
Bareilly (U.P.)